

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]	नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 19—अक्टूबर 25, 2019 (आश्विन 27, 1941)
No. 42]	NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 19—OCTOBER 25, 2019 (ASVINA 27, 1941)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं
सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुम्बई-400001, दिनांक 30 अगस्त 2019

स.बैं.वि.कैका.आरसीबीडी.सं. 02/19.51.025/2019-20—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में "द मेघालय को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड" को सम्मिलित किये जाने का निदेश देता है।

लिलि वडेरा, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 30th August 2019

DCBR.CO.RCBD.No. 02 /19.51.025/2019-20—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion of "The Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd." in the Second Schedule to the said Act.

LILY VADERA, Executive Director